फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री ललित सुथार नि0 34, सुथारो की भागल, टांटोल तहसील खमनोर जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 39/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पत्र क्रमांक :–RTI/2025/297 दिनांक 04.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना में खाता सं. 211 में खसरा 2426 में से अवाप्त रकबा 0.0107 है, 2427 में से अवाप्त रकबा 0.0107 है, खसरा संख्या 2546 में से अवाप्त रकबा 0.0115 है, 2548 में से अवाप्त रकबा 0.0414 है, 2644 में से अवाप्त रकबा 0.0238 है, 2648 में से अवाप्त रकबा 0.099 है, एवं खाता संख्या 259 के खसरा नं. 2645 में से अवाप्त रकबा 0.0411 है एवं 2649 में से 0.0938 रकबा है, बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना के संदर्भ में खाता संख्या 259 के खसरा संख्या 2646 व 2649 के खातेदार कंकुबाई पुत्री सवा, किशन लाल पुत्र गेबा, मोहनलाल पुत्र गेबा व लक्ष्मीलाल पुत्र गेबा की एन.एच. 162 ई में अवाप्त भूमि तहसील कार्यालय में उपलब्ध मुआवजा राशि भुगतान आदेश की प्रति संलग्न है अन्य खसरो के भुगतान आदेश श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलक्टर) महोदय, के कार्यालय से संबंधित है। बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में चाही गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 एवं 3 की (आंशिक सूचना) अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। एवं बिन्दु संख्या 2, 4 एवं 5 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचनाएं नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 3 की (आंशिक सूचना), बिन्दु संख्या 2, 4 एवं 5 की सूचना हेतु नियमानुसार संबंधित कार्यालय को आवेदन कर प्राप्त कर सकते है। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)